राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/93 दिनांकः 03/05/2020

आदेश

कोविड–19(Covid–19) महामारी के मध्यनजर गृह(ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 02.05.2020 द्वारा दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक मोडिफाईड लॉकडाउन लागू किया गया है। मोडिफाईड लॉकडाउन की क्रियान्विति के लिए गाईड लाईन्स जारी की गई है जिसके क्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक92दिनांक 19.4.2020 के द्वारा जारी आदेशों में उल्लेखित अधिकारी एवं निजी स्टाफ प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

2. मुख्यालय के सभी विभागों, समस्त आगारों एवं अन्य ईकाईयों में एक तिहाई कर्मचारी बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होंगे। उक्त सीमा में बारी–बारी (Rotationwise) से कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कर्मचारियों के नाम सहित आदेश संबंधित विभाग/आगार/ईकाई द्वारा अपने स्तर पर जारी किए जाकर इस विभाग को भी अवगत करवाया जायेगा।

3. जिन कर्मचारियो को रोटेशन के आधार पर जिस दिन कार्यालय में उपस्थित नही होना है उस दिन उनकी स्थिति घर से कार्य (Work From home) करने की होगी तथा वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एंव किसी भी समय वे कर्तव्य पर बुलाये जा सकेंगे।

4. इस दौरान किसी भी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नही होगी।

5. मुख्यालय/आगारों/ईकाइयो में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र मे रहते है, इसे संबंधित विभाग/आगार/ईकाई गृह विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 15.04.20 के आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) संबंधी मापदण्डो का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

7. इस दौरान मुख्यालय/ईकाइयों में बडी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी / कर्मचारी शामिल होने की संभावना हो आयोजित नही की जावेगी।

8. कार्य स्थल पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धिता सुनिश्चित की जायेगी ।

9. कार्य स्थल पर पारियों के मध्य तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा ।

10. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कनिंग, हैण्ड वॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे । कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवॉश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

11. कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार–बार सेनेटईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय प्रभारी का उत्तरदायी होगा ।

13. बडी भौतिक सभाओं से बचना चाहिए ।

14. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

Scanned by CamScanner

15. मोडिफाईड लॉकडाउन के दौरान आमजन का मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग प.33(2)गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 02.05.2020 की पालना सुनिश्चित की जायेगी । सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है ।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– मुख्या / कार्मिक / प्रशा.सु. / 2020 / 93 दिनांकः 03/05/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक ( ),रापनि,.........................
4. उप महा प्रबन्धक ( )/ , रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ),रापनि,..........................
7. प्रभारी केन्द्रीय कंट्रोल रूम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
8. समस्त जोनल मेनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,................................
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,...................
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (प्रशासन / संचालन / वित्त / यातायात) रापनि राजस्थान
11. आदेश पत्रावली ।

3/5/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner